न्यायालय अपर जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश संख्या तीन, जोधपुर ।
पीठासीन अधिकारी : श्री ब्रजेश कुमार डांगरा, आर.एच.जे.एस.

दाण्डिक अपील सं. : 03/2007

अपीलार्थीगण:

1. *सुरज प्रकाश उर्फ कालू पुत्र श्री खैराजराम जाति जाट*
2. *रतनाराम पुत्र श्री खैराजराम जाति जाट*
3. *कानीदेवी पत्नी श्री खैराजराम जाति जाट*
   सभी निवासीगण कागल जिला जोधपुर ।
4. *मुन्नीदेवी पत्नी श्री रामनिवास जाति जाट*
5. *रामनिवास पुत्र श्री गुमनाराम जाति जाट*
   निवासीगण बागोरिया जिला जोधपुर ।
6. *छोटूराम पुत्र श्री हरिकिशनराम जाति जाट निवासी*
   कागल जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. *पोकरराम पुत्र श्री लूम्बाराम जाति जाट*
2. *श्रीमति सुशीला पत्नी श्री सुरज प्रकाश पुत्री श्री पोकरराम*
   जाति जाट निवासीगण द्वारा कृष्णकुमार परमसुख पालीवाल
   प्लोट नं. 7-सुसवानी माता मंदिर के पास मण्डोर जोधपुर ।

दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा29 घरेलू हिंसा से
महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, विरूद्ध आदेश
श्री बलदेवराज बेनीवाल अति. सिविल न्यायाधीश
(क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5,जोधपुर
दिनॉक 20.12.06 दाण्डिक प्रकरण संख्या 04/06
पोकरराम व अन्य बनाम सुरज प्रकाश व अन्य

उपस्थित :

1. श्री हैदर आगा, अधिवक्ता -- अपीलार्थीगण की ओर से ।
2. श्री प्रेमरतन पुरोहित, अधिवक्ता -- प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनॉक : 04/07/2008

*--: **निर्णय** :--*

1/. अपीलार्थी-अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील आदेश दिनांक 20.12.2006 के विरूद्ध सेशन न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी-प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम स्वीकार करते हुए अपीलार्थी-अप्रार्थी सं. 1 को आदेश दिया कि वह प्रार्थीया को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करावे व मकान का किराया बिजली पानी का खर्चा वहन करे व 2000/- रूपये महीना भरण पोषण पेटे अदा करें साथ ही अप्रार्थीगण को आदेश दिया कि वह प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित नहीं करे व उसे तीस हजार रूपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें । उक्त अपील विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

2/. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम का आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया सुशीला व अप्रार्थी सं.1 की शादी 01.03.06 को हुई । विवाह के पश्चात पहली मुलाकात में प्रार्थीया को सुरजप्रकाश की शारीरिक कमजोरी का पता चला व अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अप्रार्थीगण ने उसपर तरह-तरह की क्रूरता व परेशानिया खड़ी करने लगे उससे दहेज की मांग करने लगे व उसे तंग परेशान व मारपीट करने लगे उससे तीस हजार रूपयों की मांग की गई व दिनांक 02.09.06 को उसके पिता को बुलाकर उसे उसके पिता के साथ जोधपुर भेज दिया तब से वह अपने पिता के

साथ रह रही हैं । प्रार्थीया के निजी आय का कोई जरिया नहीं हैं तथा वह अपने पिता पर आश्रित हैं उसका जीवन दूर्भर हो गया हैं । जबकि अप्रार्थी की आय अच्छी हैं 20-25 बीघ जमीन हैं जिससे सालाना दो लाख की कमाई हैं व गायें भैसों से 7-8 हजार रूपये अतिरिक्त माहवारी आमदनी हो जाती हैं । अंत में प्रार्थीया को किराये पर मकान उपलब्ध करवाने, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने, पांच हजार रूपया प्रतिमाह भरण पोषण हेतु अदा करने व एक मुश्त पचास हजार रूपये प्रताड़ना पेटे अदा करने का अप्रार्थी को आदेश देने का निवेदन किया ।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर प्रार्थीया द्वारा वर्णित तथ्यों को गलत बताया व कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं केवल मनगढन्त तथ्य अंकित किये हैं । क्रूरता व तंग परेशान करने का तथ्य गलत हैं प्रार्थीया को कभी भी दहेज के लिए तंग परेशान नहीं किया गया । प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ रहना नहीं चाहती । प्रार्थीया के पिता स्वयं आकर घर पर जागरण का कहकर प्रार्थीया को लेकर गये उस समय वह सारे कपड़े जवेर लेकर गई थी अप्रार्थीगण को अंदेशा नहीं था कि वह हमेशा के लिए जा रही हैं । प्रार्थीया दूध दही व घी बेचने का काम करती हैं । अप्रार्थी सं. 1 दूसरो कें खेतो पर मजदूरी करता हैं जिसे 70 से 100/- रूपये रोजाना मजदूरी मिलती हैं प्रार्थीया स्वयं तलाक लेना चाहती हैं व इस हेतु दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा किया हैं। अंत में आवेदन खारिज करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार आदेश पारित किया जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई हैं ।

3/. बहस सुनी गई । विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत जाकर आदेश पारित किया हैं । प्रार्थीया द्वारा दहेज की मांग करने की कहानी विश्वास योग्य नहीं हैं क्योंकि एक तरफ प्रार्थीया अप्रार्थी को नामर्द बताती हैं

दूसरी तरफ दहेज की मांग करने का आरोप लगा रही हैं । अप्रार्थी द्वारा जो मेडिकल प्रमाण पत्र पेश किया इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में कोई जिक्र नहीं किया हैं जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू था जिसे ignore करने में न्यायालय ने त्रुटि की हैं । अप्रार्थी की आय के संबंध में प्रार्थीया की ओर से कोई दस्तावेज या शपथ पत्र पेश नहीं किए गए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के रूप में तीस हजार रूपये अदा करने का आदेश देकर मामले का अंतिम निस्तारण कर दिया जबकि अंतरिम राहत की स्टेज पर इस प्रकार का आदेश दिया जाना कतई उचित नहीं हैं । अतः आलोच्य आदेश अपास्त किया जाए । विद्धान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आलोच्य आदेश को विधी सम्मत बताया ।

4/. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह माना हैं कि प्रार्थीया सुशीला अभी जोधपुर शहर में किराए के मकान में रह रही हैं और अपीलार्थी को मकान किराया तथा बिजली पानी का खर्चा वहन करने का आदेश दिया गया हैं किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता हैं कि प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह प्रकट होता हों कि वह किराए के मकान में रह रही हैं । दूसरी ओर विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन हैं कि प्रार्थीया अपने पिता के साथ रह रही हैं । परिवाद के अवलोकन के प्रकट होता हैं कि प्रार्थीया व उसके पिता प्रार्थी सं.1 दोनो का एक ही पता परिवाद में अंकित किया गया हैं । अतः प्रथम दृष्टया यह सवीकार किए जाने योग्य तथ्य नहीं हैं कि प्रार्थीया किराए के मकान में रह रही हैं अतः ऐसी स्थिति में मकान किराया व बिजली पानी का खर्चा वहन करने का आदेश विधि सम्मत व न्यायोचित नहीं हैं । प्रार्थीया का यह अभिकथन रहा हैं कि अपीलार्थी व उसके घरवाले प्रार्थीया को ताने देते व उसके साथ मारपीट करते व प्रार्थीया को मानसिक व शारीरिक कष्ट देने का भी कथन किया गया हैं और वर्तमान में प्रार्थीया अपने पिता के साथ रह रही हैं । प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी की सालाना आय तीन लाख रूपये हों और उसके पास 25-30 बीघा जमीन हों । अप्रार्थी का

यह कथन हैं कि वह खेतीहर मजदूर हैं जिसकी पुष्टि में उसके द्वारा अमराराम, बस्तीराम, मोहनराम, व नाथूराम के शपथ पत्र पेश किये गये हैं । उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए भरण पोषण हेतु प्रार्थीया को प्रतिमाह दो हजार रूपये की राशि दिलाया जाना अत्यधिक व अनुचित हैं । बल्कि मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया को 1500/- रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित हैं । यह स्पष्ट हैं कि वर्तमान में प्रार्थीया अपने पिताके साथ रह रही हैं और अप्रार्थी के साथ नहीं रह रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में विद्धानअधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित नही करने के संबंध में जो आदेश दिया हैं वह पारित किए जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नही हैं । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के साथ किए गए कृत्य, आचरण व क्रूरता के लिए तीस हजार रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया हैं लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए धारा 23 अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की क्षतिपूत्रि की राशि दिलाया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित नहीं हैं तथा पक्षकारान की साक्ष्य के पश्चात अंतिम रूप से परिवाद का निस्तारण करते समय ऐसा आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत हैं ।

5/. उपरोक्त विवेचन के आधा रपर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

-- **<u>आदेश</u>** --

अतः अपीलार्थी-अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं व भरण पोषण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.12.06 संशोधित करते हुए प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 1,500/-रूपये अदा करने का अप्रार्थी सं.1 को आदेश दिया जाता हैं । मकान किराया, बिजली पानी का खर्चा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वहन करने, तीस हजार रूपये

बतौर क्षतिपूर्ति देने व व प्रार्थीया के साथ धरेलू हिंसा कारित न करने के संबंध में पारित आदेश अपास्त किया जाता हैं ।

(ब्रजेश कुमार डांगरा)
अपर सेशन्स न्यायाधीश सं. 3,
जोधपुर

निर्णय आज दिनॉक 04.07.08 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ब्रजेश कुमार डांगरा)
अपर सेशन्स न्यायाधीश सं. तीन
जोधपुर ।